आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/3/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 41/2013** **जयनाथ सिंह बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 2575/2013 जयनाथ सिंह बनाम राज्य एवं अन्य को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2745 दिनांक 3.8.13 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 21.6.13 को अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उक्त विक्रेता की दुकान की जॉच की गई एवं जॉच के क्रम में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी थी– 1. सूचनापट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं होना। 2. माप–तौल उपकरण नवीकरण संबंधित कागजातों का न दिखाया जाना। 3. भुगतान शुदा कूपन न दिखाया जाना। 4. कूपन प्राप्ति प्रपत्र 8 एवं 20 पर कूपन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर संधारित न करना। पुनः जिला स्तरीय जॉच दल के जॉच पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, इसुआपुर एवं प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, तरैया के द्वारा दिनांक 6.7.13 एवं 7.7.13 को उक्त विक्रेता के व्यापार स्थल की जॉच की गयी। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गई– 1. दुकान बंद, बिक्रेता अनुपस्थित। 2. विक्रेता के परिवार के सदस्यों के द्वारा जॉच पदाधिकारी से भंडार का सत्यापन	

नहीं कराया गया।

3. विक्रेता की दुकान से संबद्व उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में दिसम्बर 2012 तक ही सामग्रियों के वितरण की मात्रा की प्रविष्टि की गयी है।
4. विक्रेता के दुकान से सम्बद्व उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि अन्त्योदय योजना में निर्धारित मात्रा से कम यथा 30 किलो खाद्यान्न देकर 110 रूपया लिया जाता है। माह अप्रैल एवं मई 2013 का कूपन फाड़ लिया गया है एवं खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है।
5. बी.पी.एल. योजना में निर्धारित मात्रा से कम यथा 20 किलो खाद्यान्न देकर 150 रूपया लिया जाता है। माह अप्रैल एवं मई 2013 का कूपन फाड़ लिया गया है तथा खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है तथा कुछ उपभोक्ताओं को विगत एक साल से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है।
6. किरासन तेल निर्धारित मात्रा से कम यथा 2.50 लीटर देकर 45 रूपया लिया जाता है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा की गई जॉच एवं जिला स्तरीय जॉच दल के द्वारा की गई जॉच में पाई गयी अनियमिताओं के लिए उक्त विक्रेता से कारणपृच्छा की मॉग की गयी। विक्रेता से प्राप्त कारणपृच्छा का जवाब संबंधित प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी से मन्तव्य की मॉग की गयी थी। संबंधित प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के द्वारा मन्तव्य प्रेषित किया गया कि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी से प्राप्त मन्तव्य के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि को व्यापार स्थल के बाहरी दिवाल पर सूचनापट्ट–सह–मूल्य भंडार प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से टंगा था। माप–तौल अनुज्ञप्ति जनवरी 2014 तक विक्रेता के पास उपलब्ध है, जिसके नवीकरण हेतु चलान रसीद की छायाप्रति कारणपृच्छा के सांथ संलग्न किया गया है। भुगतान किए गए कूपन राशन एवं किरासन के प्रपत्र 8 एवं 20 पर प्रखंड आपूर्त्ति कार्यालय, इसुआपुर में जमा करके विक्रेता के द्वारा प्राप्ति रसीद प्राप्त की गयी है, जिसकी छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न है। अपीलकर्त्ता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन नहीं

किया गया है, इसलिए उनके द्वारा अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख में संधारित कागजातों का परिसीलन किया गया। मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्वयं विक्रेता के व्यापार स्थल का निरीक्षण करके सूचनापट्ट को समुचित रूप से संधारित नहीं पाया गया था। माप–तौल उपकरण संबंधी अनुज्ञप्ति पत्र की मांग किए जाने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी को अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि इस संबंध में इसुआपुर प्रखंड के सभी विक्रेताओं को अप्रैल 2013 में आहूत बैठक में विभागीय आदेश से अवगत कराया गया था कि जॉच के समय दुकान से संबंधित सभी कागजातों को जॉच पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से दिखाया जाना अपेक्षित है। माह मार्च 2013 एवं मई 2013 के किरासन तेल भुगतान शुदा कूपन प्राप्ति प्रपत्र 8 पर प्राप्त करने वाले पदाधिकारी या किसी कर्मी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। विक्रेता के द्वारा जान–बूझकर अपने द्वारा की गयी अनियमितताओं को छिपाने के उद्देश्य से कारणपृच्छा के कंडिका 05 से 10 तक का जवाब नहीं दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिला स्तरीय जॉच दल के द्वारा लगाया गया आरोप सही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा सभी बिन्दुओं की सम्यक समीक्षा करते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने संबंधी मुखर आदेश ज्ञापांक 2745 दिनांक 3.8.13 पारित किया गया है, जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी, **सारण, छपरा**	**जिला दंडाधिकारी,** **सारण, छपरा**

ज्ञापांक 639 / न्यायालय, दिनांक 24/5/14

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को संबंधित LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।/ NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
24/5/14